उत्तराखण्ड शासन

अनुपूरक बजट एक दृष्टि में

2026–27

प्रमुख आर्थिक बिन्दु

उत्तराखण्ड शासन

मुख्य बजट का आकार	रु0 111703.21 करोड़
अनुपूरक बजट का आकार जिसमें	रु0 7844.18 करोड
राजस्व मद	रु0 3679.86 करोड
पूंजीगत मद	रु0 4164.32 करोड
कुल बजट का आकार	रु0 119547.39 करोड़

अनुपूरक बजट : मुख्य प्रावधान

- ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों हेतु 6वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार करते हुए राज्य के कर राजस्व का 10.5% से बढ़ाकर 12.5% करना और इस हेतु रू0 721 करोड़ का प्रस्ताव है।
- अन्नपूर्ति योजना में अन्नदाता से धान/गेहूँ की खरीद हेतु रू0 1100 करोड़ का प्रावधान है।
- **SASCI** के अन्तर्गत अवसंरचना विकास के लिये पूंजीगत मद में रू0 500 करोड़ का प्रावधान है।
- जल–जीवन मिशन में ठेकेदारों को बकाया धन के भुगतान आदि हेतु रू0 300 करोड़ का प्रावधान है।
- दिव्य कुंभ मेले की व्यवस्था हेतु विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत अवस्थापना हेतु समग्र रूप से लगभग रू0 290 करोड़ का प्रावधान है।
- डिजिटल लर्निंग हेतु विद्यालयी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में रू0 200 करोड़ का प्रावधान है।
- गैरसैंण जलापूर्ति बांध परियोजना हेतु रू0 122 करोड का प्रावधान है।
- नवीन स्टेट डेटा सेंटर निर्माण हेतु रू0 40 करोड़ का प्रावधान है।
- जनता को सार्वभौमिक आधार पर रू0 5 लाख तक की कैशलैस चिकित्सा सुविधा के लिये अटल आयुष्मान योजना हेतु रू0 100 करोड़ एवं कर्मचारियों को कैशलैस चिकित्सा सुविधा देने के लिये गोल्डन कार्ड हेतु रू0 125 करोड़ का प्रावधान है।

अनुपूरक बजट : मुख्य प्रावधान

- कल्याणकारी पेंशन हेतु लगभग रू0 93 करोड़ का प्रावधान है।
- ज्योतिष, आयुर्वेद, योग, ध्यान तथा अध्यात्म विधाओं के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिये मदन मोहन प्राच्य संस्थान हेतु रू0 2 करोड़ का प्रावधान है।
- ऊर्जा क्षेत्र में खुरपिया फार्म परियोजना सहित पारेषण व वितरण व्यवस्था आदि हेतु विभिन्न मदों के अन्तर्गत लगभग रू0 270 करोड़ का प्रावधान है।
- चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत पिथौरागढ़ व रूद्रपुर मेडिकल कालेज तथा नर्सिंग कॉलेजों आदि हेतु पूंजीगत मद में लगभग रू0 160 करोड़ का प्रावधान है।
- आगामी दिव्य कुंभ के दृष्टिगत हरिद्वार–गंगा कॉरिडोर परियोजना के अन्तर्गत कार्यों के समयबद्ध संपादन के दृष्टिगत पूंजीगत मद में रू0 30 करोड़ का प्रावधान है।
- नंदा राजजात यात्रा संचालन हेतु पूंजीगत मद में रू0 20 करोड़ का प्रावधान है।
- अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाडियों को पुरस्कार हेतु रू0 15 करोड़ का प्रावधान है।
- खेल विश्वविद्यालय हेतु लगभग रू0 35 करोड़ का प्रावधान है।

अनुपूरक बजट : मुख्य प्रावधान

- महिला स्पोर्टस कॉलेज चंपावत हेतु रू0 10 करोड़ का प्रावधान है।
- ट्राउट प्रोत्साहन योजना (FIDF) हेतु लगभग रू0 28 करोड़ का प्रावधान है।
- किसान पेंशन योजना हेतु रू0 9 करोड़ का प्रावधान है।
- मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु लगभग रू0 2 करोड़ का प्रावधान है।
- लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 सड़को के अनुरक्षण आदि हेतु के अन्तर्गत रू0 31 करोड़ तथा ग्राम्य विकास विभागान्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 हेतु रू0 30 करोड़ का प्रावधान है।
- मेगा इंडस्ट्रीयल नीति के तहत अनुदान योजना के अन्तर्गत रू0 12 करोड़ का प्रावधान है।

अवसंरचना विकास : अन्य प्रमुख योजनायें

- पेयजल विभाग में के0एफ0डब्ल्यू0 परियोजना हेतु लगभग रू0 110 करोड़ का प्रावधान है।
- शहरी विकास विभाग में ए0डी0बी0 पोषित योजनाओं हेतु लगभग रू0 100 करोड़ का प्रावधान है।
- पुलिस विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग रू0 55 करोड़ का प्रावधान है।
- न्यायिक इन्फ्रॉस्ट्रक्चर फैसिलिटी हेतु लगभग रू0 22 करोड़ का प्रावधान है।
- जोशीमठ व अन्य स्थानों में भू–धसाव के दृष्टिगत कार्य हेतु लगभग रू0 48 करोड़ का प्रावधान है।
- शहरी विकास विभाग में कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु रू0 15 करोड़ का प्रावधान है।
- पंचायतों भवनों के निर्माण हेतु रू0 5 करोड़ का प्रावधान है।

युवा कल्याण : अन्य प्रमुख योजनायें

- मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों को उच्च शिक्षा (नीट, जे0ई0ई0 एवं क्लैट आदि) हेतु कोचिंग के लिये रू0 5 करोड़ का प्रावधान है।
- आगामी राष्ट्रीय खेल से पूर्व राज्य के खिलाड़ियों हेतु विशेष प्रशिक्षण शिविर के लिये रू0 8 करोड़ का प्रावधान है।
- ओपेन जिम स्थापना हेतु रू0 5 करोड़ का प्रावधान है।
- खिलाडियों को छात्रवृत्तियां हेतु लगभग रू0 5.50 करोड़ का प्रावधान है।
- विद्यालयी शिक्षा में छात्रवृत्तियां हेतु लगभग रू0 4 करोड़ का प्रावधान है।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना हेतु लगभग रू0 1 करोड़ का प्रावधान है।
- किशोरों हेतु आश्रय गृहों के निर्माण हेतु रू0 1 करोड़ का प्रावधान है।
- मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना हेतु रू0 1 करोड़ का प्रावधान है।

अन्नदाता : अन्य प्रमुख योजनायें

- उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना (जायका) हेतु रू0 70 करोड़ का प्रावधान है।
- प्राइम मिनिस्टर फार्मलाईजेशन आफ माइक्रो फूड प्रोसेसिग इंटरप्राइजेज स्कीम (पी०एम०एफ०एम०ई०) हेतु लगभग रू0 35 करोड़ का प्रावधान है।
- दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना हेतु रू0 20 करोड़ का प्रावधान है।
- गौ सदन का निर्माण हेतु लगभग रू0 9 करोड़ का प्रावधान है।
- नई मौन पालन नीति हेतु रू0 1 करोड़ का प्रावधान है।

नारी सशक्तिकरण : अन्य प्रमुख योजनायें

- भोजन माताओं के मानदेय हेतु रू0 20 करोड़ का प्रावधान है।
- सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0– पोषण अभियान के अन्तर्गत समग्र रूप से लगभग रू0 60 करोड़ का प्रावधान है।
- निराश्रित विधवा पेंशन हेतु लगभग रू0 27 करोड़ का प्रावधान है।
- चिकित्सा, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास आदि विभागों के अन्तर्गत विविध प्रावधान।